उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-1

संख्या- 15/2016/182/38-1-2016&3508/2013

लखनऊ: दिनांक: 28 जनवरी, 2016

<u>नियुक्ति/विज्ञप्ति</u>

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा,2014 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अनुकूल चरित्र सत्यापन एवं राज्य चिकित्सा परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में स्वस्थ्य घोषित किये जाने के उपरान्त उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0 5400 में मौलिक रूप से नियुक्त करते हुए इन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुए निम्नलिखित नवनियुक्त खण्ड विकास अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-6 में अंकित जनपद में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं:-

क्र0	नाम	पिता/पति का नाम	पत्राचार का पता	गृह जनपद	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6
1	सौरभ बर्नवाल	श्री प्रहलाद प्रसाद बर्नवाल	मु0 वाजिदपुरा, पो0-कोपागंज, जनपद-मऊ पिन-275305	मऊ	कानपुर देहात
2	सौरभ कुमार पाण्डेय	श्री अचिन्त्य कुमार पाण्डेय	ग्राम घिरौली पाण्डेय, पो0-शंकरपुर, जनपद बस्ती, पिन-272129	बस्ती	सन्तकबीरनगर
3	अमित त्रिपाठी	श्री सुधाकर नाथ त्रिपाठी	म0नं0 490/5 ई, नयानगर, निकट महाकालेश्वर मंदिर, सुल्तानपुर,	अमेठी	सुल्तानपुर
4	सर्वेश कुमार तिवारी	श्री शिव नारायण तिवारी	ग्राम-जयनगर ¼निकट-हाइडिल¼ पो0 गौरा जयनगर, जिला देवरिया	देवरिया	लखनऊ
5	अरूण कुमार सिंह	श्री शिलवन्त सिंह	ग्राम व पो0-भादर, जिला अमेठी, पिन-227406	अमेठी	रायबरेली

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6	अमित सिंह	श्री सत्य नरायन सिंह	ग्राम-अलियाबाद कटाई, पो0- भुवनाबुजुर्ग जिला आजमगढ़ पिन-276405	आजमगढ़	संतकबीरनगर
7	अमित मिश्र	श्री काली प्रसाद मिश्र	श्री आर.सी. पाण्डेय 2/255 विराट खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ	गोरखपुर	सिद्धार्थनगर
8	विकास शुक्ल	श्री स्व0 राधेश्याम शुक्ल	ग्राम-शहाबपुर, पो0-परियत, थाना-बरसठी, जिला-जौनपुर पिन-222162	जौनपुर	प्रतापगढ़
9	दिनेश कुमार मिश्र	श्री विक्रमादित्य मिश्र	3/120 वीन सचिवालय कालोनी केदारपुरम, देहरादून (उत्तरांचल) पिन-248001	इलाहाबाद	रायबरेली
10	अमित कुमार सिंह	श्री विनोद कुमार सिंह	349, कौशलपुरी, प्रयास कोचिंग, हरदोई पिन-241001	हरदोई	शाहजहॉपुर
11	उमेश चन्द्र मिश्र	श्री आत्माराम मिश्र	ग्राम-चौमुखा (टीचर कालोनी) पो0-कैम्पियरगंज, थाना-कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर, पिन-273158	गोरखपुर	बिजनौर
12	शरद कुमार सिंह	श्री अशोक कुमार सिंह	मीरा कुंज, 8ए/1बी, शिवकुटी तेलियरगंज, इलाहाबाद	इलाहाबाद	अमेठी
13	विनोद कुमार यादव	श्री सुभाष चन्द्र यादव	72/1-एफ/2, पुरादलेल, तिलकनगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, पिन-211006	भदोही	आजमगढ़
14	जितेन्द्र कुमार	श्री बलवीर यादव	ग्राम-बीबीपुर भुसौली, पो0-धौरूआ, थाना-मालीपुर, अम्बेडकरनगर पिन-224159	अम्बेडकरनगर	आजमगढ़
15	पारूल सिसौदिया	श्री श्रीराम सिंह	ग्राम-किशनपुर भोगन, पो0-हल्दौर जिला-बिजनौर पिन-246726	बिजनौर	शामली
16	आजम अली	श्री बेचन अली	157/1 साउथ मलाका, इलाहाबाद	जौनपुर	भदोही
17	प्रशान्त कुमार	श्री कृपाल सिंह	5/175, आवास विकास कालोनी, मैनपुरी	मैनपुरी	बुलन्दशहर

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

18	मृदुला	श्री स्व0 राम शब्द सिंघल	म0न0-22, अम्बेडकरनगर, पो0- मानस नगर, थाना- कृष्णानगर लखनऊ।	अम्बेडरकनगर	गाजीपुर
19	अशोक कुमार सिंह	श्री रूपेन्द्र कुमार	ग्राम व पोद्ध- हस्तपुर, थाना-इगलास, जिला- अलीगढ़ पिन-202001	अलीगढ़	आगरा
20	रवि कुमार	श्री शिव पूजन	महु वरिया, पसियान, मीरजापुर पिन-231001	मीरजापुर	जौनपुर
21	प्रीती वर्मा	श्री बृजलाल	ग्राम-सरैयां, पो0-रामगढ़, जिला-सीतापुर पिन-261403	सीतापुर	शाहजहॉपुर
22	अभिषेक कुमार त्रिपाठी	श्री अंजनी प्रसाद त्रिपाठी	ग्राम-रामदासपुर, पो0- वेरवॉ पहाडपुर, जिला भदोही पिन-221309	भदोही	बलिया
23	सुश्री ज्योति शर्मा	श्री नरेन्द्र शर्मा	खुर्जारोड, जेवर, गौतबुद्धनगर, उ0प्र0 पिन-203135	गौतमबुद्धनगर	आगरा

2- जनपद के विकास खण्ड में तैनाती सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी।

3- सम्बन्धित अभ्यर्थियों की तैनाती के जनपदों में विभिन्न विकास खण्डों में 01 माह की फील्ड ट्रेनिंग दिये जाने के उपरान्त ही सम्बन्धित जिलाधिकारियों के द्वारा इनकी विकास खण्डों में स्वतंत्र रूप से तैनाती की जायेगी।

4- इन अभ्यर्थियों की सेवा शर्ते शासन द्वारा निर्गत की गई नियमावलियों एवं शासनादेशों के अधीन विनियमित होंगी।

5- प्रत्येक अभ्यर्थी को शैक्षिक तथा आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा एवं जिन अभ्यर्थी ने पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया है, को भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे अभ्यर्थियों को योगदान करने की अनुमति प्रदान न करें।

6- तैनाती के जनपद तक जाने/पहुॅचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7- प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में उक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली- 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुसार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

8- यह नियुक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित विशेष अनुज्ञा याचिका ¼सिविल½ संख्या-14299-14301/2007 उ0प्र0 लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रति पारसनाथ पाल तथा अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 15/2016/182(1)/38-1-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कार्मिक अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-15/20/2015-का-4-2015 दिनांक 03.09.2015 एवं संख्या-15/20/2015-का-4-2015 दिनांक 19.10.2015 के संदर्भ में प्रेषित।
(3) निदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी अलीगंज, लखनऊ।
(4) सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(5) महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
(6) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
(8) समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) समस्त मण्डलायुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(11) सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश की प्राप्ति के एक माह के भीतर तैनाती के जनपद में कार्यभार ग्रहण करें। अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त समझा जायेगा।
(12) गार्ड फाईल।]

आज्ञा से

उमा कान्त मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in